दिनांक हुक्म	कार्यवाही
01 01 20.	पत्रावली पेश हुई वकीलवादी उपस्थित वकील फरीकेन उपस्थित है। वकीलवादी ने वाद अर्न्तगत धारा 88, 91, 92 (ए), 209, 53, 188राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के अर्न्तगत इस आश्य का पेश किया की ग्राम झालरापाटन तहसील झालरापाटन की खाता सं0 नया 256 पुराना 247 की खसरा नं0 2426 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा आराजी बापूलाल उर्फ बाबूलाल पुत्र गंगाराम जाति चमार (यादव) (जाटव) के खाते दर्ज रही हैजिनकी मृत्यु के बाद हरिशंकर, चांदमल, दुर्गाशंकर, प्रताप, औमप्रकाश,अशोक, मुकेश, कमल तथा मिठोबाई, उषा, सरोज, शशि एवं कस्तुरीबाई बैवापत्नि उसके मरने पर वारिसान बने हरिशंकर के मरने के बाद वादी सं0 1 लगायत 5 उसके वारिसान है चांदमल के मरने पर वादीगण नं0 6 व 710, 11 एवं 12 प्रतिवादी बने चांदमल की लड़की आशा जो शिवप्रसाद को ब्याही थी प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 15 नाबालिग बने। जो उनके मामा अरविन्द पुत्र चांदमल की वीलायत मे रहे है तीनो नाबालिग का वली अरविन्द को बनाया है बापूलाल उर्फ बाबूलाल जाटव का पुत्र दुर्गाशंकर वादी 8 बनाया है बापूलाल उर्फ बाबूलाल का पुत्र प्रताप के मरने पर वादी नम्बर 9 विजय नम्बर 10 बबलू तथा वादनी नं0 11 मंजू एवं प्रतिवादी नं0 13 तथा 14 ज्योति बने जो वादी एवं प्रतिवादी गण बनाये गये है। बापूलाल उर्फ बाबूलाल के पुत्र औमप्रकाश को प्रतिवादी नं 3 बनाया है तथा उसकी पुत्री को प्रतिवादीगण सं0 4 लगायत 7 बनाया है बापूला उर्फ बाबूलाल के पुत्र अशोक के मरने पर उसकी बैवा पत्नि लक्ष्मीबाई उसकी वारिस कायम मुकाम है जोकि प्रतिवादी नं 12 है बापूलाल उर्फ बाबूलाल के पुत्र मुकेश को प्रतिवादी नं0 1 तथा उसकी बैवा पत्नि कस्तुरीबाई को प्रतिवादी नं0 2 बनाया है बापूलाल उर्फ बाबूलाल जाटव निवासी झालावाड़ का पुत्र कमल लाऔलाद फोत हुआ है जिस कारण उसका जो हिस्सा था उसके मालिक उसकी मां तथा उसके भाई कायम मुकामान बने जिस कारण आराजी खसरा नं0 26 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा ग्राम झालरापाटन के 1/12 हिस्से के खातेदार हरिशंकर के वारिसान वादीगण 1 लगायत 5 है इसी प्रकार चांदमल के वारिसान वादी नं0 6, 7 एवं प्रतिवादी नं 10, 11, 12 उक्त आराजी के 1/12 हिस्से के खातेदार/सहखातेदार बने वादी नं 8 दुर्गाशंकर जो बापूलाल उर्फ बाबूलाल का पुत्र है प्रश्नगत आराजी का 1/12 हिस्से का खातेदार/सहखातेदार बने प्रताप पुत्र बापूलाल उर्फ बाबूलाल के वारिसान वादी नं0 9, 10, 11 एवं प्रतिवादी नं0 13 व 14 बने उक्त आराजी के 1/12 हिस्से के खातेदार/सहखातेदार घोषित कराने के पात्र हैं अशोक की वारिस उसकी विधवा पत्नि लक्ष्मीबाई वादनी नं0 12 उक्त आराजी के 1/12 हिस्से की खातेदार/सहखातेदार बनी प्रतिवादी नं0 1 मुकेशकुमार पुत्र बापूलाल उर्फ बाबूलाल के खाते उक्त आराजी के 1/12 हिस्से का सहखातेदार/खातेदार बना इसी प्रकार औमप्रकाश का प्रश्नगत आराजी में 1/12 प्रतिवादी मिठोबाई का 1/12 तथा उदा उक्त आराजी के 1/12 हिस्से की खातेदार बनी जो घोषित करा पाने के पात्र हैं प्रतिवादी नं0 6 सरोज पुत्री बापूलाल उर्फ बाबूलाल भी उक्त आराजी के 1/12 हिस्से की सहखातेदार बनी जो घोषित करा पाने की पात्र है शशि पुत्री बापूलाल उर्फ बाबूलाल जाटव आराजी खसरा नं0 2426 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा वाके झालरापाटन के 1/12 हिस्से की खातेदार/सहखातेदार बनी है जो घोषित करा पाने की पात्र है ← P.T.O.

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़ (राज0)

दिनांक हुक्म	कार्यवाही

बापूलाल उर्फ बाबूलाल पुत्र गंगाराम जाति जाटव निवासी झालरापाटन के देहान्त दिनांक 26.03.2011 को होने से मृतक के सभी वारिसान तत्काल प्रश्नगत आराजी के खातेदार/सहखातेदार बने हैं बापूलाल उर्फ बाबूलाल के मरने के बाद मृतक के वारिसान द्वारा भूमिधारी तहसीलदार झालरापाटन से निवेदन किया की मृतक के वारिसान के नाम हक में नामान्तरकरण तस्दीक किया जावे किन्तु तहसीलदार झालरापाटन ने इन्तकाल तस्दीक नही किया तहसीलदार झालरापाटन ने दुर्गाशंकर, प्रताप, मुकेशकुमार पिसरान तथा अरविन्दकुमार पुत्र चांदमल लक्ष्मीबाई पत्नि अशोक ने तहसीलदार झालरापाटन के यहां नामान्तरकरण खालने बाबत् एक प्रार्थना पत्र जिसकी दायरा तारीख 28.11.2016 है जिसका निर्णय तहसीलदार झालरापाटन ने दिनांक 27.07.2017 को विधि विरूद्व करते हुवे प्रतिवादी मुकेशकुमार के नाम नामान्तरकरण सं0 2163 दिनांक 02.08.2017 को तस्दीक कर दिया जो विवादास्प्रद है जिस कारण वादीगणों ने माननीय संभागीय आयुक्त महोदय कोटा के न्यायालय पेश की है प्रतिवादी मुकेश ने फर्जी वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खुलवाया जो नल एण्ड वाईड दस्तावेज है तहसीलदार झालरापाटन ने फर्जी वसीयत के आधार पर प्रतिवादी मुकेश के पक्ष में खोला इन्तकाल का नया खाता 348 कायम किया तथा बहैसियत खातेदार दर्ज कर दिया जिसे बापूलाल उर्फ बाबूलाल क वारिसान खारिज करवाने के पात्र हैं प्रतिवादी ने धोखा एवं फरेब कर फर्जी वसीयत की फोटोकापी पेश कर नामान्तरकरण खुलवाया है तथा अपने खाते खसरा नं0 2426 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा आराजी अपने नाम चडवाली है बापूलाल उर्फ बाबूलाल के जीवनकाल से एवं उनके देहान्त होने के बाद से वादीगण का लगातार कब्जा चला आ रहा है वाद का कारण प्रतिवादी नं0 1 मुकेशकुमार के हक में नामान्तरकरण नं0 2163 दिनांक 02.08.2017 को तहसीलदार झालरापाटन द्वारा तस्दीक करने से पैदा हुआ

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण की तरफ से क्रम से विद्ववान अभिभाषक श्री मंसूर आलम एवं श्री बच्चूलाल ने वकालतनामे पेश किये श्री मंसूर आलम ने प्रतिवादीगण की तरफ से वकालतनामे के साथ प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा आदेश–7 नियम–11 सीपीसी पेश किया गया जिसकी प्रति वकीलवादी को दिलवाई गई तथा पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र में रखी गई जिसका जवाब वकीलवादी ने दिनांक 20.08.2018 को पेश किया गया तथा पत्रावली बहस प्रार्थना पत्र में रखी गई

पत्रावली में प्रस्तुत किये गये वकीलप्रतिवादी के प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा आदेश–7 नियम–11 सीपीसी पर उभय पक्ष कारान की बहस सुनी गई वकीलववादी ने अपनी जिरह में बताया की प्रश्नगत आराजी स्वअर्जित है प्रतिवादी ने 2 साल से जवाव दावा पेश नही किया है जवाब दावा पेश किये जाने के बाद ही पत्रावली में तनकियात कायम की जानी थी तथा प्रस्तुत वाद का निस्तारण किया जाना था दौराने वाद ही वादी द्वारा तहसीलदार के निर्णय दिनांक 27.07.2017 के विरूद्ध माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय कोटा में तहसीलदार के निर्णय के विरूद्ध अपील की गई जिसमें माननीय न्यायालय में उनके निर्णय दिनांक 18.09.2019 को निर्णय पारित कर उपखण्ड न्यायालय झालावाड़ में दायर वाद का निर्णय नही हो जाता तब तक प्रश्नगत आराजी को विवादग्रस्त आराजी का नोट लाल स्याही से अंकित होने के आदेश हुवे इस सम्बन्ध में वकीलवादी ने प्रश्नगत आराजी के विवादग्रस्त नोट अंकित के सम्बन्ध में खाता सं0 नया 348 पुराना 321 सम्वत 2073 से 2076 पेश की तथा जिरह में बताया की पहले वकील प्रतिवादी को वाद पत्र में जवाब प्रस्तुत किया जाना था उसके पश्चात ही प्रार्थना पत्र निस्तारित हो अतः प्रतिवादी वकील का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा आदेश–7 नियम–11 सीपीसी काबिल– ए–खारिज है वकील प्रतिवादी ने अपनी जिरह में जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है वह इस आशय का पेश किया है की वादीगण ने दावे

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़ (राज०)

P.T.O.

दिनांक हुक्म	कार्यवाही

माना है जो बापूलाल उर्फ बाबूलाल की स्वअर्जित आराजी है तथा वादीगण ने प्रतिवादी नं0 1 मुकेशकुमार के पक्ष में दिनाक 02.08.2017 को इन्तकाल नं0 2163 खोलने को वाद कारण पैदा होना बताते हुवे पेश किया है मृतक बापूलाल उर्फ बाबूलाल ने मरने से पूर्व प्रतिवादीगण नं0 1 मुकेशकुमार के नाम वसीयत के आधार पर तहसीलदार झालरापाटन द्वारा पक्षकारों को सुनने के बाद नामान्तरकरण खोला है जिसको वेद्य मानी गई है वादीगण को इन्तकाल खोले जाने की जानकारी थी वाद कारण इन्तकाल नही है बल्कि वाद कारण वसीयत है जिसको वैद्य/अवैद्य घोषित करने का क्षैत्राधिकार माननीय सिविल न्यायालय को है इस न्यायालय को अधिकार प्राप्त नही है अतः प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा आदेश–7 नियम–11 सीपीसी प्रतिवादी नं0 1 मुकेशकुमार स्वीकार किया जावे तथा वादी का वाद मय खर्चा खारिज किया जावे वकील प्रतिवादी ने अपने पक्ष में यह भी दलील दी है की अगर प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा आदेश–7 नियम–11 सीपीसी लंबित है तो दावे में जवाब दावा नही देखा जाकर केवल दावा ही देखा जाता है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुवे वादी का वाद खारिज किया जावे

पत्रावली के अवलोकन एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं उभय पक्षकारान की दलील सुनने के पश्चात प्रथम दृष्टतया वादीगण का वाद चलने योग्य प्रतित नही होता है वकीलवादी की यह दलील कि वसीयत प्रतिवादी नं0 1 ने धोखा एवं छल कपट पूर्वक बनवाकर प्रश्नगत आराजी को मृतक बापूलाल उर्फ बाबूलाल के मरने से पूर्व प्रश्नगत आराजी को अपने पक्ष में नामान्तरकरण खुलवाकर खाते लगाली वसीयत सही है या गलत है वसीयत को वैद्यता का अधिकार इस न्यायालय को नही है जब तक वसीयत दिनांक 02.08.2003 सिविल न्यायालय से निरस्त नही की जाती तब तक यह न्यायालय वादीगण का वाद सुनने का अधिकार इस न्यायालय को नही है उभय पक्षकारान की दलीलों को सुनने के बाद एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अद्यौपान्त अध्ययन करने के पश्चात वादी का वाद इस न्यायालय में चलने योग्य नही है वादीगण का वाद खारिज होने योग्य है तथा प्रतिवादी नं0 1 मुकेशकुमार का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा आदेश–7 नियम–11 सीपीसी स्वीकार करने योग्य है प्रतिवादी नं0 1 मुकेशकुमार का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का वाद मय खर्चा खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार किया जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
झालरापाटन (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Tiwari
Date: 2020.01.28 11:29:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: